कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), राजसमन्द

–:कार्यालय आदेश:–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड ।।। भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/शा.शिक्षक ग्रेड ।।। /सी.भ./वो–।./2017–18/ दिनांक 29.11.2019 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप पृष्ठांकित अभ्यर्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार लेवल 10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानेदय रूपये 23700/– (पूर्व में सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने के पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें। इनके अभाव में किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा मे सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नही होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करावाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए.ग/ 95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नही होने संबंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50रू के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
4. आवेदक का दहेज नही लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल से कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्थाप्रधान अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण पुनः इस कार्यालय को भिजायेंगे।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनत आदि देय नही होगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नही होगी।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ –12 (9)एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
10. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ –12 (9)एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदायी की कटौती नियमानुसार होगी।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पर चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अभ्यर्थी ही कार्यग्रहण करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाप्रति (फोटो) चस्पा है।

क्रमशः...2

12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण इनके जाली अथवा कूटरचीत पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

13. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के अन्तर्गत दी जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन होगी।

14. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करे।

15. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधीसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

16. अन्य विभाग से आने वाले कार्मिको से संबंधित विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करनें के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 22.02.2020 तक कार्यग्रहण करन अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे। एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करे।

12.2.2020

(ओमशंकर श्रीमाली)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक राजसमन्द

क्रमांकः–जिशिअ/मुख्या/मा/राजस/संस्था/फा–शा0शि0.ग्रेडाा/सी.भ/2019/ 600 दिः– 12.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजसमन्द।
8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय, राजसमन्द।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ————————————
10. संबंधित पदेन पंचायत प्रसार अधिकारी ——————————— को देकर लेख है कि कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी का जि.शि.अ.प्रा.मुख्यालय, राजसमन्द शाला दर्पण पर मेंपिंग कराकर ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करे।
11. संबंधित संस्थाप्रधान ————————————————
12 संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा),
13. रक्षित पत्रावली,
14 नोटिस बोर्ड

12.2.2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक राजसमन्द

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), राजसमन्द

क्रमांकः—जिशिअ/मुख्या/मा/राजस/संस्था/फा—शा0शि0.ग्रेडाा/सी.भ/2019/ 600 दिः— 12.02.2020

NON TSP

क.स.	फोटो	चयन वर्ग	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पिता/पति का नाम एवं पता	जन्म दिनांक	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक
1		GEN	1774	NARESH KUMAR/SUBHASH CHANDER,VILL SHEKHUPURIA, PO PANJUANA, TEH SIRSA, SIRSA	04-10-1988	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MALIYON KA WAS	DEOGARH
2		GEN	1872	SUBODH CHATURVEDI/LOKESH CHANDER CHATURVEDI,A-111, SUBHASH NAGAR, -, BHILWARA	15-08-1976	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL VENA KHEDA	DEOGARH

12.2.2020

(ओमशंकर श्रीमाली)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक राजसमन्द